This question paper contains 7 printed pages.]

3458 *Your Roll No. .....*

LL.B. / IV Term B
Paper LB-402
ADMINISTRATIVE LAW

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)
(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note : *Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.*

टिप्पणी : *इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।*

*Attempt any **five** questions in all.*
All questions carry equal marks.

*कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर लिखिए।*
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

[P.T.O.

1. (a) Discuss the theory of Separation of Powers in context of Indian Constitution. Refer to judicial decisions.

(b) What is the object and scope of Commission of Enquiry under the Commission of Enquiry Act, 1952. What are the powers of Central Government to appoint Commission of Enquiry ? 20

(अ) भारतीय संविधान के संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त का विवेचन कीजिए। न्यायिक विनिश्चयों को निर्दिष्ट कीजिए।

(ब) जाँच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जाँच आयोग का उद्देश्य और परिव्याप्ति क्या है? जाँच आयोग नियुक्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार की क्या शक्तियाँ हैं ?

2. What are limits beyond which a legislature cannot delegate the law making power ? Discuss with reference to decided cases. Explain whether modification and repeal of law are valid delegation of law making power: 20

वे कौन सी सीमाएँ हैं जिनके पार जाकर विधानमंडल विधि-निर्माणी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता ? विनिश्चित केसों के संदर्भ में विवेचन कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि क्या विधि का रूपान्तर तथा निरसन विधि -निर्माणी शक्ति के विधिमान्य प्रत्यायोजन हैं ?

3. Discuss with reference to decided cases whether rules of natural justice have been violated in following cases :

(a) Non-supply of enquiry report.

(b) Refusal to defend through legal practitioner where charges levelled may result in dismissal. 20

विनिश्चित केसों के संदर्भ में विवेचन कीजिए कि क्या नैसर्गिक न्याय के नियमों का निम्नलिखित केसों में उल्लंघन किया गया है :

(अ) जाँच-रिपोर्ट की सप्लाई न किया जाना।

(ब) जहाँ आरोपों के परिणामस्वरूप बरखास्तगी हो सकती है वहाँ विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिरक्षा किए जाने की मनाही करना।

(a) A transport authority while granting the licence did not take into consideration an important evidence because of which 'X' could not get licence to run transport services. Which is the appropriate writ that can be issued to 'X' and why? Give the grounds on which such writ can be issued.

(b) Malafide exercise of power is an abuse of power. Discuss with reference to decided cases. 20

(अ) एक परिवहन प्राधिकरण ने लाइसेन्स मंजूर करते हुए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार नहीं किया जिसके कारण X को परिवहन सेवा चलाने के लिए लाइसेंस नहीं मिल सका था। वह कौनसी उपयुक्त रिट है जो X को जारी की जा सकती है और क्यों ? उन आधारों का उल्लेख कीजिए जिन पर ऐसी रिट जारी हो सकती है।

(ब) शक्ति का असद्भावपूर्वक प्रयोग शक्ति का दुरुपयोग होता है। विनिश्चित केसों की सहायता से विवेचन कीजिए।

5. (a) What are the exemptions under the Right to Information Act, 2005 ?

(b) Can the following information be supplied under the Right to Information Act. Substantiate your answer.

(i) Notes, rottings and draft judgements.

(ii) Disclosure of assets by individual judges to the Chief Justice of India. 20

(अ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत क्या-क्या छूट हैं ?

(ब) क्या सूचना के अधिकार के अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी जा सकती हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

(i) नोट्स, रॉटिंग्स तथा ड्राफ्ट जजमेंट्स

(ii) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अलग-अलग न्यायाधीशों द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रकटीकरण।

6. 'The line of distinction between quasi judicial power and administrative power is getting obliterated'. Discuss with reference to decided cases.

'X', a senior officer of 'Y', gave adverse remarks in the confidential report of 'Y' because of which 'Y' could not be promoted. 'X', was the member of Departmental Promotion Committee in which 'Y' appeared for interview. Y wants to challenge the decision of the Committee on account of bias. Advise 'Y'. Explain through judicial decisions about the application of principle of Bias. 20

'न्यायिककल्प अधिकार तथा प्रशासनिक अधिकार के बीच विभेदक रेखा मिटती जा रही है।' विनिश्चित केसों की सहायता से विवेचन कीजिए।

Y के वरिष्ठ अधिकारी X ने Y की गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पण किया जिसके परिणामस्वरूप Y को पदोन्नति नहीं मिल सकी। X उस

विभागीय पदोन्नति समिति का सदस्य था जिसमें Y साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुआ था। Y पक्षपात के कारण समिति के विनिश्चय को आक्षेपित करना चाहता है। Y को सलाह दीजिए। पक्षपात के सिद्धान्त की अनुप्रयोज्यता के बारे में न्यायिक विनिश्चयों के माध्यम से व्याख्या कीजिए।

7. (a) The rule provided for granting exemption of purchase tax for new and expanded factories in State of Uttaranchal. The objective was to generate employment and to prevent inter state migration of labour. The government made a policy to grant exemptions to new factories in cooperative sector. 'X' who was not granted exemption challenged the decision on the ground that government by making policy has shut its ears to individual applications. Decide with reference to decided cases.

(b) Discuss the Constitutional Validity of Article 323 A(2) and Article 323B(d). 20

(अ) उत्तरांचल राज्य में नई तथा विस्तारित फैक्टरियों हेतु क्रय-कर से छूट मंजूर करने के लिए नियमों में उपबन्ध किया गया था। उद्देश्य था कि रोजगारों का सृजन हो तथा श्रमिकों का अन्तर्राज्यीय प्रवास रुक जाए। सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में नई फैक्टरियों को छूट मंजूर करने की नीति बनाई। X को छूट मंजूर नहीं की गई

थी। उसने इस आधार पर विनिश्चय को आक्षेपित किया कि सरकार ने नीति बनाकर वैयक्तिक आवेदकों की ओर से कान बंद कर लिए। विनिश्चित केसों की सहायता से विनिश्चिय कीजिए।

(ब) अनुच्छेद 323A(2) और अनुच्छेद 323B(d) की संवैधानिक वैधता का विवेचन कीजिए।

8. Write short notes on any **two** : 20

(i) Wednesbury and Proportionality Principle

(ii) Curative Petition

(iii) Legislative control through laying requirement

(iv) Post decisional hearing

किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(i) वैडनसबरी और आनुपातिकता सिद्धान्त

(ii) सुधारपरक याचिका

(iii) रखे जाने (laying) की अपेक्षा के माध्यम से विधायी नियंत्रण

(iv) विनिश्चयोत्तर सुनवाई